# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 36/2019
रमेश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र 36 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सोटवारा, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती महाकोरी पुत्री मालाराम धर्मपत्नि बनवारी लाल, जाति मेघवाल, निवासी झुंझुनूं हाल नूआं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. सुमेर सिंह पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद, उम्र 53 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी 10/124 हाउसिंग बोर्ड, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुझुनू।
3. सुनिल कुमार पुत्र श्री मोहन सिंह, उम्र 36 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम भोबिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
4. सुमित नेमीवाल पुत्र भागीरथमल, जाति मेघवाल, निवासी ए–64, जे.बी. शाह गर्ल्स कॉलेज के सामने, बसन्त विहार, झुंझुनूं, तहसील व जिला झंझुनूं।
5. पवन कुमार चिरासनिया पुत्र श्री गिरधारीलाल, उम्र 44 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम हंसासरी, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय झुंझुनूं जिला झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्ट्स

––

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 18.10.2018 तहसील महोदय झुंझुनूं नामान्तरकरण संख्या 284 व विरूद्ध आदेश दिनांक 01.11.2018 तहसीलदार महोदय झुंझुनूं नामान्तरकरण संख्या 285

––

1. श्री राधेश्याम सामरिया, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– राज्य सरकार ( रेस्पो0 सं0 6 ) की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पो0 सं0 1 लगायत 5 बावजूद सूचना के उपस्थित नही।

## आदेश

**दिनांक 29.06.2022**

उक्त विषयक अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन के विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के नामान्तरकरण सं0 284 दिनांक 18.10.2018 एवं नामान्तरकरण संख्या 285 दिनांक 01.11.2018 भूमि ग्राम भूरासर का बास [illegible] प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आध[illegible] की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील [illegible] का बास पटवार क्षेत्र नयासर तहसील व जिला झुंझुनूं में स्थित [illegible] किता 1 रकबा 2.1000 हैक्टर भूमि स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त [illegible] सहित पूर्ण रूप से [illegible] पवित्र को अपीलान्ट को दिनांक 13.09.2018 को विक्रय कर दिया [illegible] तथा उप पंजीयक झुंझुन[illegible]र्यालय में उसी दिन दिनांक 13.09.2018 पंजीबद्ध व तस्दीक करा दिया था तथा मौके पर अपीलान्ट को कब्जा चला आ रहा है चूंकि अब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जानबूझकर तथ्य छुपाते हुए धोखाधडी कर राजस्व अधिकारियो से सांठ–गांठ कर गलत रूप से दर्ज राजस्व रिकार्ड का दुरूपयोग करते हुए उसका नाजायज फायदा लेने की बदनियती से भू–माफिया से मिलकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के हक में एक नल एण्ड वोईड विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2018 को उक्त भूमि बाबत दूसरी बार बिना किसी कब्जे एवं बिना किसी अधिकार के निष्पादित करा दिया। इसी तरह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी जानबूझकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.06 16:12:26 IST
Reason: SelfAttested

तथ्य छुपाते हुए एक विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2018 को उक्त भूमि बाबत दूसरी बार बिना किसी कब्जे एवं बिना किसी अधिकार के निष्पादित करा दिया। इसी तरह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी जानबूझकर तथ्य छुपाते हुए एक विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के हक में उक्त भूमि बाबत दूसरी बार उप पंजीयक झुंझुनूं के समक्ष करवा दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक ही भूमि को दो बार बेचान कर दिया जो स्वतः निरस्त है। चूंकी कानूनन एक सम्पति का एक ही बार बेचान किया जा सकता है दूसरी बार किया गया बैचान कानूनन नल एण्ड वोईड होता है। इसके बावजूद तहसीलदार महोदय झुंझुनूं ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के हक में नामान्तरकरण संख्या 284 दिनांक 18.10.2018 तस्दीक कर दिया तथा आपसी सहमति से विभाजन कर नामान्तरकरण संख्या 285 दिनांक 01.11.2018 दर्ज किये जाने के आदेश विधि विरूद्ध एवं गैर कानूनी रूप से प्रदान किये। जिससे व्यथित होकर यह अपील अन्दर मियाद नीचे लिखे अनुसार पेश है कि तहसीलदार झुंझुनूं का आदेश खिलाफ कानून न्याय व विरूद्ध पत्रावली है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जानबूझकर तथ्य छिपाकर विधि विरूद्ध तरीके से उक्त भूमि को दूसरी बार बेचान कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 व राजस्व कर्मचारियो से मिली भगत करके नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया है। तहसीलदार महोदय झुंझुनूं ने हल्का पटवारी से कब्जा काश्त की कोई रिपोर्ट प्राप्त नही की बिना कब्जा काश्त व रिपोर्ट लिये अपनी तरफ से तहसीलदार महोदय झुंझुनूं ने कब्जा काश्त की कोई जांच पडताल किये बिना ही तहसीलदार झुंझुनूं ने नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया है। मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विक्रय की गई हिस्से की भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 का कोई कब्जा काश्त नही था और न ही किसी प्रकार का कोई कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 को सम्भलाया गया था तहसीलदार महोदय झुंझुनूं को भली भांति ज्ञान था कि विक्रय पत्र में दर्ज भूमि का बेचान गलत रूप से हुआ है तथा मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 का कोई कब्जा काश्त नही है फिर भी तहसीलदार महोदय झुंझुनूं ने मौके की जांच पडताल व सम्बन्धित हल्का पटवारी गिरदावर से पूछताछ किये बिना ही नामान्तरकरण दर्ज करने में भारी कानूनी भूल की है। तहसीलदार महोदय झुंझुनूं ने जानबुझकर गलत रूप से नामान्तरकरण संख्या 284 व 285 स्वीकृत किया है जो बिना मौके व कब्जा काश्त को देखे तथा बिना अपीलान्ट के हक अधिकारों को ध्यान में रखे बिधि विरूद्ध रूप से स्वीकृत किया है। अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 6 भूमिधारी है इसलिए अपील में पक्षकार बनाया गया है। अतः श्रीमानजी की सेवामें अपील पेशकर निवेदन है कि तहसीलदार महोदय झुंझुनूं का आदेश दिनांक 18.10.2018 नामान्तरकरण संख्या 284 व आदेश दिनांक 01.11.2018 नामान्तरकरण संख्या 285 निरस्त फरमाया जावे एवं खर्चा मुकदमा दिलाया जावे व अपीलान्ट के हक में राजस्व रिकार्ड में अमद दरामद दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जानबूझकर तथ्य छिपाकर विधि विरूद्ध तरीके से उक्त भूमि को दूसरी बार बेचान कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 व राजस्व कर्मचारियो से मिली भगत करके नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया है। तहसीलदार महोदय झुंझुनूं ने हल्का पटवारी से कब्जा काश्त की कोई रिपोर्ट प्राप्त नही की बिना कब्जा काश्त व रिपोर्ट लिये अपनी तरफ से तहसीलदार महोदय झुंझुनूं ने कब्जा काश्त की कोई जांच पडताल किये बिना ही तहसीलदार झुंझुनूं ने नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया है। मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विक्रय की गई हिस्से की भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 का कोई कब्जा काश्त नही था और न ही किसी प्रकार का कोई कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 को सम्भलाया गया था तहसीलदार महोदय झुंझुनूं को भली भांति ज्ञान था कि विक्रय पत्र में दर्ज भूमि का बेचान गलत रूप से हुआ है तथा मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 का कोई कब्जा काश्त नही है फिर भी तहसीलदार महोदय झुंझुनूं ने मौके की जांच पडताल व सम्बन्धित हल्का पटवारी गिरदावर से पूछताछ किये बगैर ही नामान्तरकरण संख्या 284 व 285 दर्ज करने में भारी कानूनी भूल की है। तहसीलदार महोदय झुंझुनूं ने जानबुझकर गलत रूप से नामान्तरकरण संख्या 284 व 285 स्वीकृत किया है जो बिना मौके व कब्जा काश्त को देखे तथा बिना अपीलान्ट के हक अधिकारों को ध्यान में रखे बिधि विरूद्ध रूप से स्वीकृत किया है। रेस्पोडेन्ट महाकौरी ने मुझ अपीलान्ट को पहले जमीन विक्रय की थी। रेस्पोडेन्ट महाकौरी ने इसी भूमि का गलत रूप से दूसरी बार विक्रय सुनिल कुमार को कर दिया। पहले मेरा विक्रय पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.06 15:12:26 IST
Reason: SelfAttested

तस्दीक हुआ था। अतः अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं को मेरे पक्ष मे नामान्तरकरण भरना चाहिए था। सुनिल कुमार के पक्ष मे भरा गया नामान्तरकरण गलत व अवैध है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार महोदय झुंझुनूं का आदेश दिनांक 18.10.2018 नामान्तरकरण संख्या 284 व आदेश दिनांक 01.11.2018 नामान्तरकरण संख्या 285 निरस्त फरमाया जावे एवं खर्चा मुकदमा दिलाया जावे व अपीलान्ट के हक में राजस्व रिकार्ड में अमद दरामद दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

रेस्पो0 सं0 1 लगायत 5 बावजूद सूचना के उपस्थित नही। रेस्पो0 सं0 1 लगायत 5 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2018 नामान्तरकरण संख्या 284 व आदेश दिनांक 01.11.2018 नामान्तरकरण संख्या 285 मे कोई त्रुटि नही है। अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट ने नामान्तरकरण हेतु आवेदन नही किया था। सुनिल कुमार द्वारा आवेदन करने पर उसके पक्ष मे नियमानुसार नामान्तरकरण बाद जांच भरा गया है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि रेस्पोडेन्ट महाकौरी ने पहले अपीलान्ट रमेश कुमार को जमीन विक्रय की थी। इसी जमीन का पुनः गलत तरीके से दूसरी बार सुनिल कुमार को बेचान कर दिया। एक ही जमीन का दो बार बेचान अवैध है। जिसने रेस्पोडेन्ट से पहले जमीन क्रय की उसके पक्ष मे अदालत मातहत को नामान्तरकरण स्वीकार करना चाहिए था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार झुंझुनूं का आदेश दिनांक 18.10.2018 नामान्तरकरण संख्या 284 व आदेश दिनांक 01.11.2018 नामान्तरकरण संख्या 285 निरस्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि विवादित भूमि का नामान्तरकरण बाद जांच अपीलान्ट के पक्ष मे तस्दीक किया जावे। अपील स्वीकार होने की स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्थगन पर अलग से आदेश पारित किया जाना आवश्यक नही है। रेकार्ड मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( एल0एस0कुडी )
जिला कलक्टर
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.06 15:12:26 IST
Reason: SelfAttested